अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
03/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0 आर पुनरीक्षण वाद 133/2011** **तपनदास एवं अन्य बनाम जेम्स विलियम एक्का एवं अन्य ।** **आदेश** प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद उपायुक्त, राँची द्वारा भू–वापसी अपील वाद 39–R–15/2000–01 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। विशेष विनियमन पदाधिकारी के द्वारा भू वापसी वाद संख्या–197/95–96 में मौजा–हिन्दपीड़ी, खाता संख्या–22, प्लॉट–195, रकबा–17डी0 से संबंधित भू वापसी आवेदन को खारीज किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आदेश को रद्द करते हुए प्रश्नगत् वाद में पूनः सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने हेतु विनियम पदाधिकारी के न्यायालय में वापस किया गया था। प्रश्नगत् वाद में अपीलार्थी कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति के कारण 24.01.2017 को आवेदन को खारीज कर दिया गया था। पुनः 18.04.2017 को उक्त वाद आवेदक के अनुरोध पर पुनस्थापित किया गया। इसके पश्चात् 17.07.2018 को आवेदक अंतिम रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए। उक्त तिथि के पश्चात् इस वाद में आवेदन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 20.12.2021 को आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया था। किन्तू निर्धारित तिथि 28.12.2021 को आवेदक पुनः अनुपस्थित रहे। अतः उपलब्ध कगजातों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। निम्न न्यायालय के आदेश के आलोकन से स्पष्ट होता है कि टायटल सूट संख्या–456/1961 उभ्य पक्षों के द्वारा समझौता के आधार पर निष्पादित हुआ था। उक्त समझौता आवेदन में प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	1946 में सादा बिक्री पट्टा के आधार पर होने का उल्लेख किया गया था, वह पट्टा भी खो जाने की बात उल्लेखित है। स्पष्टतः सादा बिक्री पट्टा के आधार पर तथा काँम्प्रोमाईज के आधार पर आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को वैद्य नहीं किया जा सकता। आवेदकों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर उनके लम्बे समय से दखल एवं पक्का मकान होने का दावा किया गया है। इसी आधार पर उपायुक्त द्वारा धारा 71 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु वाद को पूनप्रेषित किया गया है। इस प्रकार यह विषय वर्तमान में विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय में पुनर्विचार हेतु लंबित है। आवेदकों को उसी न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए किन्तु आवेदकों द्वारा आयुक्त न्यायालय में प्रश्नगत् पुनरीक्षण दायर किया गया है। आवेदकों के द्वारा इस न्यायालय में अपने पुनरीक्षण आवेदन को निष्पादन करने हेतु कोई सहयोग नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक मात्र इस विषय को न्यायालयी कार्रवाई में लंबित रखना चाहते है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारीज किया जाता है। विशेष विनियम पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे इस वाद की सुनवाई प्राथमिकता पर करते हुए उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में 3 माह के भीतर अंतिम आदेश पारित करेंगे। तद्नुसार विशेष विनियमन पदाधिकारी को सूचित करें। लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त। आयुक्त।	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.26 12:52:35 +05:30
Location: 192.168.1.40